

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 फरवरी 2015—फाल्गुन 6, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-36-2014-चौदह-3, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 के द्वारा राज्य सरकार ने सागर जिले की तहसील मालथौन में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये मालथौन में पृथक मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी।

अतएव, कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में सागर जिले की तहसील मालथौन के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये मालथौन में पृथक मंडी स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-36-2014-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-36-2014-XIV-3, dated 14th October 2014 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a separate market at Malthon for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Malthon in Sagar District.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Malthon for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the act. including all revenue and forest villages of the Tehsil Malthon in Sagar District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6139-6628-चौदह-1, दिनांक 13 सितम्बर 1962 द्वारा जिला सागर की तहसील खुरई एवं मालथौन के मंडी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंड अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-36-2014-चौदह-3, दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा सागर जिले की मालथौन तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाठित किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से “उक्त मंडी क्षेत्र” को सागर जिले की मालथौन मंडी के “उक्त क्षेत्र से” विपाठित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-36-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 6139/6628 dated 13th September 1962 issued under the provisions of Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Khurai and Malthon in Sagar District, (here in after referred to as the “said market area”).

AND, WHEREAS, by this department Notification No. D-15-36-2014-XIV-3, dated 14th October 2014 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to the said Market area by split up there from the area comprising of villages situated Malthon Tehsil of Sager District, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here establish a seperate market at Malthon by splitting the "said market area" from the "said area."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति मालथौन के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

#### स्थान

ग्राम पंचायत मालथौन, तहसील मालथौन, जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	206 में से	3.180
2	207	1.170
3	211 में से	1.650
योग . .		6.000

#### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि.

दक्षिण में—शासकीय भूमि.

पूर्व में—नेशनल हाईवे, 26.

पश्चिम में—कृषि भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-36-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Malthon has been established by this department's Notification even dated 25th February 2015, shall be market yard namely:—

## PLACE

An area of 6.000 Hector's land of below mentioned Khasra number at Gram Panchayat Malthon in Tehsil Malthon of District Sagar:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
(1)	(2)	(3)
1	Into 206	3.180
2	207	1.170
3	Into 211	1.650
	Total . .	6.000

## BOUNDED BY

**On the North by**—Govt. Land.  
**On the South by**—Govt. Land.  
**On the East by**—N. H. 26.  
**On the West by**—Agriculture Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबन्ध में मंडी समिति मालथौन, जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

## क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत मालथौन तहसील मालथौन जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.  
(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—  
(1) मालथौन (2) उद्देतपुरा (3) जामुनढाना (4) कर्नेलगढ़ (5) मझेरा (6) चिनारी (7) खिरिया कलाँ (8) अण्डेला (9) कुलुआ खास (10) अमाई रमगढ़ा (11) धोरई खास (12) सीपुर खास (13) वेसरा (14) भैलैया (15) गऊधो (16) महुल खास (17) चक्क बघोनिया (18) कुंवरपुरा (19) खिरिया डॉग (20) ककुरिया (21) सुकालीपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. डी-15-36-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2015

No. D-15-36-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 25th February 2015 the Following area of Malthon of District Sagar shall be market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Malthon in Tehsil Malthon of District Sagar.
- (2) An area comprising of the following village within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely:—
  - (1) Malthon (2) Uddetpura (3) Jamundhana (4) Kernelgath (5) Majhera (6) Chinari (7) Khiriya Kala (8) Andela (9) Kulua Khas (10) Amai Ramgardha (11) Dhorai Khas (12) Seepur Khas (13) Vesara (14) Bhailaiya (15) Goudhoo (16) Mahul Khas (17) Chakk Waghoniya (18) Kuwarpura (19) Khriya Dog (20) Kakuriya (21) Sukalipura.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.